राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,

आई.टी.शाखा, मुख्यालय,जयपुर।

क्रमांक :– एफ3/मुख्या./आई.टी./20/490 दिनांक :– 15.07.2020

कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक/प्रशिक्षित कार्मिक हेतु बोली–प्रपत्र

बोली पत्र को अच्छी तरह से लिफाफे में सील कर ही प्रेषित करें :–

1.	बोलीकर्ता का नाम व पता	कार्यकारी निदेशक (यातायात) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन मार्ग, चौमू हाउस जयपुर।		
2.	बोली पत्र प्रकाशित करने की दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 15/07/2020	समय 05.00 PM	राजस्थान परिवहन निगम, आई.टी.शाखा, मुख्यालय जयपुर
3.	बोली पत्र जमा करने की दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 30/07/2020	समय 03.00 PM	राजस्थान परिवहन निगम, आई.टी.शाखा, मुख्यालय जयपुर
4.	तकनिकी बोली खुलने का समय, दिनांक एवं स्थान	दिनांक 30/07/2020	समय 05.00 PM	राजस्थान परिवहन निगम, आई.टी.शाखा, मुख्यालय जयपुर
5.	वित्तीय बोली खुलने का समय, दिनांक एवं स्थान	तकनिकी निविदा में सफल निविदा दाताओं की वित्तीय निविदा सूचना देकर खोली जायेंगी।		

बोली प्रपत्र निगम की वैबसाईट www.rsrtc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकेगा।

15/07/2020

उप महा प्रबन्धक (आई.टी.)

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,
C-Scheme, Jaipur-302001,Rajasthan

निविदा जमा कराने की तिथि : दोपहर :

कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक / प्रशिक्षित कार्मिक

जोब बेसेज पर / अनुबन्ध पर उपलब्ध कराने हेतु

तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्र

1. उपापन संस्था का विवरण :– Rajasthan State Road Transport Corporation, HO, Jaipur
2. कार्य का विवरण : 10 rate contract for Hiring Computer along with trained personnel
3. बोली का सन्दर्भ :–
4. बोली खोलने की तिथि व समय :–
5. मोहर बन्द बोली उपापन संस्था को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय :–
6. बोली दाता का विवरण :–
   (1) रजिस्टर सेवा प्रदाता संस्था का नाम :–
   (2) संस्था का प्रकार (फर्म / कंपनी / अन्य) :–
   (3) पूर्ण पता :–
   (4) टेलीफोन नं. :– (5) मोबाईल नं. :– (6) ई–मेल पता :–
7. फर्म / एजेन्सी / संस्था या अन्य का पैन नं. / इत्यादि प्रशिष्ट A में अनिवार्य रूप से भरे।
8. जी.एस.टी. नंबर प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
9. बोली शुल्क की राशि 500 / – डी.डी. संख्या.......................... दिनांक.................................. से जमा करा दी गई है।
10. बोली प्रतिभूति राशि रूपये 32,000 / – (अक्षरे रूपये बत्तीस हजार मात्र) निविदादाता को जमा करानी होगी, जो कि नकद / डी.डी. / बैंकर्स चैक / बैंक गारन्टी के रूप मे ''वित्तीय सलाहकार, राजस्थान परिवहन निगम'' जयपुर के नाम देय होगा।
11. बोली प्रतिभूति राशि असफल बोलीदाताओं को बिना ब्याज के सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध सम्पादित होने के उपरान्त लौटा दी जावेगी।
12. प्रारम्भ में प्रदाय कार्यादेश की रकम की 5% राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में बोलीदाता को अनुबन्ध के समय जमा करनी होगी। भविष्य में कम्प्यूटर, प्रिन्टर मय प्रक्षिशित कार्मिकों की संख्या बढाने पर उसी अनुपात में बढी हुई प्रतिभूति राशि बोलीदाता को जमा करानी होगी। जो कि नकद / डी.डी. / बैंकर्स चैक / बैंक गारन्टी के रूप मे ''वित्तीय सलाहकार, राजस्थान परिवहन निगम'' जयपुर के नाम देय होगी।
13. निविदा में दी गई दरों की वैद्यता की अवधि – एक वर्ष (आपसी सहमति से छः माह का Extension)
14. RSRTC, HO द्वारा जारी की गई बोली सूचना दिनांक ....एवं बोली सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्तें जो बोली पत्र के साथ संलग्न है, उनसे मैं / हम पूर्णतया सहमत हैं। हमारी स्वीकृति बतौर हमारे शर्तों संबंधी सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर मय मोहर कर दिये गये हैं।
15. बोली की दरें प्रपत्र (D,E) पर संलग्न है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,
C-Scheme, Jaipur-302001, Rajasthan
PH-0141-2374654, email: transport.rajasthan.gov.in/rsrtc

तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्र

1. बोली आवेदन प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित मय सील।
2. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्र 'A' व 'D,E' अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी।
3. पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।
4. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के क्रम में उल्लेखित सेवा प्रदाता एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
5. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 3 वित्तिय वर्षो (2015–16, 2016–17 व 2017–18) में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत संस्थाऐं/परियोजनायें/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/बैंकों में न्यूनतम 10 कम्प्यूटर प्रिन्टर मय प्रशिक्षित कार्मिक एक ही समयावधि में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति तकनीकी–वाणिज्यिक बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगा:–

क्र.सं.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिन्टर मय प्रशिक्षित कार्मिक का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की समयावधि	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाणपत्र का अंकन
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 3 वित्तिय वर्षो (2017–18, 2018–19 व 2019–20) में से किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम औसत टर्नओवर 10.00 लाख रूपये होना चाहिए। जिसके समर्थन में चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा ऑडिटेड विवरण पत्र/बैलेंस सीट की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
7. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली आवेदन प्रपत्र एवं शर्तो को एक मोहरबन्द लिफाफे में रखा जाना चाहिए उस लिफाफे पर तकनीकी–वाणिज्यिक बोली कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक/प्रशिक्षित कार्मिक कार्यालय RSRTC, HO, Jaipur लिखा होना चाहिए साथ ही बोली दाता का नाम एवं पूर्ण पता व मोबाईल न. अंकित होना चाहिए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,
C-Scheme, Jaipur-302001,Rajasthan
PH-0141-2374654, email : transport.rajasthan.gov.in/rsrtc

8. वित्तीय बोली/प्राइस बिड निर्धारित प्रपत्र "D,E" में दूसरे मोहरबन्द लिफाफे में रखा जाना चाहिए उस लिफाफे पर वित्तीय बोली/प्राइस बिड कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक/प्रशिक्षित कार्मिक कार्यालय RSRTC, HO, Jaipur लिखा होना चाहिए साथ ही बोली दाता का नाम एवं पूर्ण पता व मोबाईल न. अंकित होना चाहिए
9. बोली फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र, शर्तें एवं समस्त अन्य दस्तावेज हस्ताक्षरित मय मोहर होने चाहिए।
10. तकनीकी–वाणिज्य बोली में क्वालीफाईड/सफल बोलीदाता/संवेदक की ही वित्तीय बोली/प्राइस बिड खोली जाएगी।
11. IMPORTANT INSTRUCTION:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012" [hereinafter called the Rules] under the said act have come into force which are available on the website of STATE PUBLIC PROCUREMENT PORTAL http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the act the rules and the bidding document, the provision of the act and the rules shall prevail.
12. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले Trained prefessnal/कार्मिकों का Type/ proficiency Test लिया जाकर ही अन्तिम स्वरूप किया जावेगा।

उपर्युक्त सभी प्रमाण पत्र स्वयं हस्ताक्षरित मय मोहर होने चाहिए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,
C-Scheme, Jaipur-302001,Rajasthan
PH-0141-2374654, email : transport.rajasthan.gov.in/rsrtc

तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्र – A

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजिकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7.	अनुभव प्रमाण पत्र				
8.	Turn Over, P&L				

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
पूर्ण पता –

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,

C-Scheme, Jaipur-302001,Rajasthan

PH-0141-2374654, email : transport.rajasthan.gov.in/rsrtc

तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्र – B

Specification of package i.e. computer along with trained personnel will be as under:-

(I) Machine Specification :-

(A) Computer – Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 4 GB or higher, Hard disk 1 TB or more, 15 Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel & USB ports Windows 7 or higher, 1 Year Quick heal total security Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of Software license will be borne by the contractor.

(B) Multifunctional Printer: - Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

(C) UPS: - Online/Offline UPS for above computer and printer with 30 Minute battery backup.

(II) Manpower :- The person should be Graduate, should have knowledge to operate computer in windows/Linux environment, good knowledge/practice in word processor, spread sheets and internal operations and other office related computer operations or RSCIT Course and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.

जॉब/कार्य :– कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रतिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) का जॉब/कार्य का विवरण इस प्रकार है:–

1. राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 09:30 से सांय 06:00 बजे तक कार्य करना।
2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त गति से टंकण कार्य एवं प्रिन्टिंग करना।
3. डाटा एन्ट्री का कार्य करना।
4. एम.एस.वर्ड, एम.एस.एक्सल, पावर पॉईन्ट आदि में कार्य करना।
5. ई–मेल / प्राप्त करना।
6. विभिन्न पोर्टल/माडयूल्य में सूचनाओं को अपलोड एवं अद्यतन करना।
7. ई–गर्वनेंस में कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित संबंधित कार्य करना।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित एवं सूचना तकनीक से संबंधित अन्य आवंटित कार्य करना।

मैं/हम ने जोब बेसेज पर Hiring Computer along trained personnel हेतु आमंत्रित प्रस्ताव की समस्त शर्तों का स्वीकार करता/करते हूँ/हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,
C-Scheme, Jaipur-302001, Rajasthan
PH-0141-2374654, email: transport.rajasthan.gov.in/rsrtc

बोली की मुख्य शर्तें

1. सेवाप्रदाता एजेन्सी का श्रम विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। बोली भरते समय एजेन्सी रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं अन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी। अन्यथा निविदा निरस्त की जायेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवदेक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जा सकेगा।
8. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
9. यह दर अनुबन्ध 10 Man With Machine/trained professional हेतु एक वर्ष (आपसी सहमति से छः माह का Extension)के लिए दरें नियोक्ता से ली जा रही है परन्तु उपापन संस्था आवश्यकतानुसार अनुबन्धित दर पर नियोक्ता से Man With Machine/trained professional प्रपत्र – (C) के अनुसार माँग कर सकेगी।
10. Obtain an affidavit cum indemnity bond from the bidder to the effect that the GST charged in the bill shall be duly deposited by the bidder on due date and the same shall be duly reflected in GSTR-3B & GSTR-1 or any other return as applicable and in case of any discrepancy or demand related to GST, the bidder shall be responsible and shall indemnify RSRTC in case of any loss occurred to RSRTC.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,
C-Scheme, Jaipur-302001, Rajasthan
PH-0141-2374654, email: transport.rajasthan.gov.in/rsrtc

11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों अधिसूचनाओं दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक/बोलीदाता स्वंय उत्तरदायी होगा।
12. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं अन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
13. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई. एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता को होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
16. सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान संतोषप्रद सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो अनुबंधित एजेन्सी को अनुबंध अवधि के मध्य हटाया जा सकेगा। जिसका किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
17. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मददेनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानद संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
18. कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या में समान दरों पर कमी/वृद्वि की जा सकती है।
19. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से दर संविदाओं के अंतिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के कम में अति महत्वपूर्ण अपेक्षित संख्या में कम्प्यूअर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना न्युनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
20. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कम्प्यूअर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी ओर दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
21. बोल की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

22. मूल्यांकन की कसोटी– तकनीक–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालीफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालीफाइड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
23. बोलियों का अपवर्जनः–राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
24. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forgeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।
    I. जब बोलीदाता खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
    II. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
    III. जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य संपादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है।
    IV. जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
    V. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विर्निदष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
25. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security)–
    I. बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक RSRTC, HO, Jaipur के नाम पर जमा करानी होगी। भविष्य में कम्प्यूटर, प्रिन्टर मय प्रक्षिशित कार्मिकों की संख्या बढाने पर इनकी भी प्रतिभू राशि बोलीदाता को जमा करानी होगी।
    II. सफल बोली लगाने की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य संपादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
    III. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि अनुबंध अवधि के 3 माह पश्चात तक निगम में जमा रहेगी। जिस पर अनुबंधकर्ता को कोई द्वारा ब्याज भुगतान नहीं किया जावेगा
26. कार्य सपांदन प्रतिभूति राशि का समपहरण कार्य संपादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित समपहरण किया जा सकेगा–
    I. जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया हो।
    II. जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
    III. जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो फिर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
27. भुगतान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के तीन कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलंब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलंब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होगा। अनुमोदित बोलीदाता को प्रस्तुत बिल के साथ निम्न दस्तावेज लगाये जाने पर ही भुगतान किया जा सकेगा।
    1. जॉब कार्य की प्रमाणित उपस्थिति प्रमाण पत्र
    2. Obtain an affidavit cum indemnity bond from the bidder to the effect that the GST charged in the bill shall be duly deposited by the bidder on due date and the same shall be duly reflected in GSTR-3B & GSTR-1 or any other return as the applicable and in case of any discrepancy or demand related to GST, the bidder shall be responsible and shall indemnify RSRTC in case of any loss occurred to RSRTC.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अधिशाषी (signature)

PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,

C-Scheme, Jaipur-302001, Rajasthan

PH-0141-2374654, email: transport.rajasthan.gov.in/rsrtc

3. RSRTC shall check their GSTR-2A (or any other similar return form applicable) every month/quarter for the bills raised by bidder and in case any of the bills could't be traced in the same within 30 days of end of month/quarter, then GST levied on the past bills and upcoming bills shall be forfeited from the next payment of bills. The aforesaid deducted GST shall be again released upon due reflection of all bills in GSRT-2A (or any other similar return form applicable)
4. गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने संबंधित चालान की प्रति।
5. श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण

28. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कम्प्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखेगा तथा कम्प्यूटर को बदलने या हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को विभाग को संभलवायेगा तथा कम्प्यूटर सिस्टम में डिलिट किया जायेगा।
29. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमति डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेडछाड/रददोवल/धोखाधडी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
30. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) कार्यालय में गरिमा बनाये रखेगा, सदव्यवहार करेगा, एवं अनैतिक कार्य नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
31. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) के चाल–चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने कि जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।
32. संविदा पर उपलब्ध कराये जाने वाली मैन पॉवर पूर्णतः अस्थायी एवं जॉब बेसिस पर होगी तथा अनुबंध की अवधि समाप्त होते ही कार्य से स्वतः ही मुक्त हो जायेगी। सेवा एजेन्सी द्वारा वही मैन पॉवर लगायी जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हो, कार्य में दक्ष हो व उपापन संस्था को स्वीकार्य हो। अवयस्क व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।
33. जिस बोलीदाता की बोली को स्वीकार की जावेगी उसे रूपये 500/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिखित अनुबंध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे।
34. अनुबंध प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढाया जावेगा।
35. सफल बोलीदाता को उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर का नाम, पता, योग्यता एवं अनुभव आदि का ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। जिसे विभाग परीक्षण उपरान्त ही कार्य आदेश जारी करेगा।
36. कम्प्यूटर उपकरणों को हमेशा चालू हालत में रखा जावेगा, यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मरत करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो बोलीदाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
37. स्थापित किये जाने वाले उपकरण बोली में वर्णित स्तर के अनुरूप होने होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरिक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहिप स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जायेगा, उसे अनुरूप कराया जायेगा अन्यथा बोली को निरस्त कर दिया जायेगा।
38. यदि कम्प्यूअर सिस्टम विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो बोलीदाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर 15 दिन का नोटिस देकर संविदा को निरस्त किया जा सकेगा।
39. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। अतः यदि बोलीदाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

40. बोलीदाता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा। ऑपरेटर के अनुपस्थित होने पर उस माह के कार्यदिवसों के आधार पर अनुबंध राशि की आनुपातिक राशि की 10 प्रतिशत अधिक की कटौती की जावेगी। कम्प्यूटर मशीन में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर उसी दिन दुरूस्त कराना होगा या रिप्लेस करना आवश्यक होगा अन्यथा रू 200/– की प्रतिदिन वसूली की जावेगी।
41. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम लागू होंगे इसके साथ ही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान एवं वित्त विभाग के आदेश कमांकः एफ 2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 भी उक्त बोली पर लागू होंगे।
42. सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
43. सेवाप्रदाता एजेन्सी का किये जाने वाले भुगतान में से नियमानुसार कर एवं अन्य कटौतियां की जायेगी।
44. सेवाप्रदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर देय नहीं होगा।
45. सेवाप्रदाना द्वारा प्रथम बार प्रिन्टर स्थापित करते समय भरी हुई कार्टेज उपलब्ध करवाई जायेगी, इसके बाद कार्टेज रिफिल करवाने तथा पेपर इत्यादि की जिम्मेदारी निगम की होगी।
46. निगम को वित्तिय बोली प्राईज बिड – "D,E" में से किसी एक वित्तिय बिड को चयन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
47. **प्रथम अपीलीय अधिकारी** – इस निविदा प्रक्रिया से सम्बन्धित कोई भी विवाद निगम एवं निविदा दाता के बीच उत्पन्न होता है तो प्रथमतः निम्नानुसार समिति के समक्ष रखा जावेगा।
    1. कार्यकारी निदेशक (यातायात)
    2. वित्तीय सलाहकार
    3. कार्यकारी निदेशक (विधि)
    4. उप महाप्रबन्धक (आई.टी.), सदस्य सचिव
48. **विवाद समाधान (Dispute Resolution)** – इस समझौते के निवर्हन के दौरान कोई भी विवाद पार्टियों के बीच उत्पन्न होता है, जिसे पहले सौहार्दपूर्ण निपटारे के माध्यम से सुलझाया जायेगा। यदि मामला 30 दिवस के भीतर सुलझाया नहीं जाता है, तो इसे स्थायी समिति (Standing committe) के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। स्थायी समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे।
    1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
    2. वित्तीय सलाहकार
    3. कार्यकारी निदेशक (यातायात)
    4. कार्यकारी निदेशक (विधि)
    5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी.), सदस्य सचिव
49. प्रारूप अनुबन्ध पत्र –

<u>अनुबन्ध पत्र</u>

आज दिनांक ....../......../2020 को **कार्यकारी निदेशक (यातायात)**, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (जो कि इस अनुबंध को प्रथम पक्ष की ओर से निष्पादित करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि है) जिन्हें इस अनुबंध में प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

मैसर्स . . . . **पता** . . . . जो कि पंजीकृत संस्था है तथा इसका वैधानिक स्वरूप एवं कॉमन सील है जिस पर हस्ताक्षर करने के लिये श्री .... पद .... अधिकृत हैं और इन्हें द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

दोनों पक्षों के मध्य राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्य "कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक/प्रशिक्षित कार्मिक" हेतु निम्न शर्तो के अनुरूप अनुबन्ध किया जाता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
(पत्राचार का पूर्ण पता)

1. प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य अनुबन्ध अवधि प्रारम्भ में एक वर्ष (दिनांक .... से दिनांक .... तक) की अवधि के लिए होगी एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे आपसी सहमति से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत बढाया जा सकेगा।
2. निम्नांकित परिस्थितियों में कार्य सपांदन प्रतिभूति राशि एवं Contigency Fund का पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त किया जा सकेगा–
   I. जब द्वितीय पक्ष द्वारा संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया हो।
   II. जब द्वितीय पक्ष सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
   III. जब द्वितीय पक्ष सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो फिर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में प्रथम पक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
3. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्य स्थान पर नहीं की जायेगी।
4. प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तावित अनुबन्ध के क्रियान्वयन, शर्तो एवं विवेचना के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष का किसी प्रकार का विवाद होने पर विवाद के आपसी निपटारे हेतु निम्नानुसार स्टेण्डिंग कमेटी उत्तरदायी होगी :–
   (I) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक
   (II) वित्तीय सलाहकार
   (III) कार्यकारी निदेशक (यातायात)
   (IV) कार्यकारी निदेशक (विधि)
   (V) उप महाप्रबन्धक (आई.टी.), सदस्य सचिव
5. प्रथम पक्ष द्वारा जारी निगम में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक/प्रशिक्षित कार्मिक हेतु जारी बोली प्रपत्र एवं इसके उपरान्त जारी समस्त संशोधन पत्र (यदि कोई हो तो) की समस्त शर्ते/नियम इस अनुबन्ध का हिस्सा होगी।
6. बोली प्रपत्र की समस्त शर्ते एवं इससे सम्बन्धित जारी समस्त संशोधन पत्र अनुबन्ध का हिस्सा होंगे।

कार्यकारी निदेशक (यातायात)
(प्रथम पक्ष)

द्वितीय पक्ष का नाम –

हस्ताक्षर मय सील –

पत्राचार का पूर्ण पता –

गवाह –1

गवाह –1

गवाह–2

गवाह–2

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
(पत्राचार का पूर्ण पता)

मैं/हम उपर्युक्तानुसार कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मैन विद मशीन)/प्रशिक्षित कार्मिक उपापन संस्थान को जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराने हेतु बाध्य रहना स्वीकार करता/करते हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
(पत्राचार का पूर्ण पता)

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,
C-Scheme, Jaipur-302001, Rajasthan
PH-0141-2374654, email: transport.rajasthan.gov.in/rsrtc

सामान्य शर्तें

1. राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश देय नहीं होगा, आवश्यकता होने पर राजपत्रित अवकाश को भी कार्यालय में उपस्थित होना होगा एवं इसकी एवज में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
2. उपलब्ध संविदा कर्मी की सेवाएं संतोषजनक नहीं होने पर उसकी जगह 3 दिवस में दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।
3. योग्यता संबंधी दस्तावेज उपस्थिति के समय प्रस्तुत करने होंगे। व्यक्ति की संख्या आवश्यकतानुसार कम अथवा अधिक की जा सकती है।
4. उपलब्ध कराये गये मैन पॉवर पूर्णतः अस्थायी एवं जॉब बेसीस पर होगी जिन्हें भुगतान अनुबंधित संस्था द्वारा ही किया जावेगा।
5. मैन पॉवर को देय अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा। इस कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा।
6. ऑपरेटर अनुपस्थित रहने पर सेवा प्रदाता वैकल्पिक व्यवस्था करेगा यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाती तब उस माह के कार्य दिवसों के आधार पर अनुबंध की राशि की आनुपातिक राशि की कटौती की जावेगी।
7. दरों की वैधता एक वर्ष की होगी। जिसमें आपसी सहमति से राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत बढाया जा सकता है।
8. बोलीदाता अपनी बोली अथवा उसके भाग का अन्य किसी सेवाप्रदाता एजेन्सी को नहीं सौंपेगा।
9. बोली में दर्शायी गई दरों में किसी प्रकार की कांट–छांट नहीं की जाये। यदि कोई त्रुटि हो तो स्पष्ट रूप से अंकित कर बोलीदाता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किये जावें।
10. बोलीदाता बोली की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वीकृति के प्रतीक रूप में हस्ताक्षर करेगा।
11. बोली को स्वीकार करने में यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम हो। गठित कमेटी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
12. बोली की शर्तों का पालन नहीं करने पर अनुबंध तुरन्त समाप्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता एजेन्सी का होगा।
13. अनुबंध पर लगे मैन पॉवर की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है या किसी दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा। इसके लिए उपापन संस्था द्वारा कोई भार वहन नहीं किया जायेगा।
14. बोली पत्र के सभी प्रपत्र पर अनुलग्नक पर बोलीदाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होने चाहिए।
15. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
(पत्राचार का पूर्ण पता)

16. कम्प्यूटर सिस्टम के सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारण रखने की पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

17. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्य स्थान पर नहीं की जायेगी।

18. बोली के साथ फर्म के लाभ के लिये जानबूझ कर कोई गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी गलत सूचना के लिये बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होगा एवं ऐसी बोली को RSRTC, HO, Jaipur किसी भी स्तर व समय पर निरस्त करने के अधिकारी होंगे।

19. बोली स्वीकृत कर लिये जाने के पश्चात यदि बोलीदाता दिये समय में कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध नहीं करा पाता है या प्रतिभूति राशि जमा नहीं करा पाता है तो उसकी बयाना राशि जब्त रक ली जायेगी।

20. कम्प्यूटर, प्रिन्टर में कन्ज्यूमेबल सामग्री को छोडकर सभी प्रकार की सामग्री बोलीदाता को लानी होगी

21. कम्प्यूटर, प्रिन्टर विभाग में ही स्थापित करना होगा।

22. बोलीदाता द्वारा दी गई अन्य कोई शर्तें मान्य नहीं होगी। सशर्त बोली निरस्त की जा सकेगी।

23. बोली प्रपत्र की समस्त शर्ते अनुबन्ध का हिस्सा होंगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
(पत्राचार का पूर्ण पता)
दूरभाष न.

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,
C-Scheme, Jaipur-302001, Rajasthan
PH-0141-2374654, email: transport.rajasthan.gov.in/rsrtc

प्रमाण पत्र

मैं/हम RSRTC, HO, Jaipur द्वारा जारी की गई बोली सूचना कमांक............................दिनांक.............
...................में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं) मैं/हम दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बोली के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रकियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि बोली प्रक्रिया या बोली प्रक्रिया के पश्चात किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों का प्रमाणिकता असिद्व होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बोली/अनुबंध को निरस्त करने, मेरे/हमारे विरूद्व कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

मैं/हम Hiring Computer along with trained personnel हेतु आमंत्रित प्रस्ताव की समस्त शर्तों को स्वीकार करता/करते हूँ/हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
(पत्राचार का पूर्ण पता)
दूरभाष न.

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,
C-Scheme, Jaipur-302001, Rajasthan
PH-0141-2374654, email: transport.rajasthan.gov.in/rsrtc

(Shall be submitted on letter head of firm)

Declaration by the Bidder regarding Qualification

In relation to my/our bid submitted RSRTC, Parivahan Marg, Chomu House, C-Scheme, Jaipur-302001 for procurements of Hiring Computer along with trained personnel in response to their Notice Inviting No..........................dated.......................... I/We here by declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,2012 that.

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding documents issued by the Procuring Entity.
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in bidding document.
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judial officer, not have my/our business suspended and not the subjected of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentation as to my/our Professional conduct or the making of false statements or misrepresentation as to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of theis procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest specified in the Act, Act Rules and the bidding Documents, Which materially affects fair competition.

Date :
Place :

Signature of Bidder
Name :
Designation:
Address:

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,
C-Scheme, Jaipur-302001, Rajasthan
PH-0141-2374654, email: transport.rajasthan.gov.in/rsrtc

(Shall be submitted on letter head of firm)

Declaration

I/We M/s. .... represented by its proprietor/managing partner managing Director/Partner having its Registered Office at.............................do declare that I/We have carefully read all the conditions of bid no.........................dated.........................for supply of Hiring Computer along with trained personnel for RSRTC, HO, Jaipur for the year 2018-19 and accepts all condition of bid of any.

I/We agree that the RSRTC-HO, Jaipur may forfeit bid security and of performance security and debar me/us for a period specifying in orders, if any information/documents furnished by us in proved to be false/fabricated at the time of inspection and not complying with the terms and conditions of the bid documents as presented in bid, GCC/SCC and other relavent documents.

I/We agree that our diployed manpower would not ask employment in RSRTC at any condition. If they do so, RSRTC reserve the right to terminate the contract without notice.

Signature & Seal of Bidder
Name & Address :

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,
C-Scheme, Jaipur-302001,Rajasthan
PH-0141-2374654, email : transport.rajasthan.gov.in/rsrtc

जोनल मैनेजर एवं जयपुर स्थित कार्यालय सूची प्रपत्र – C

S.No.	DEPOT_ NAME
1	AJMER ZONE
2	BIKANER ZONE
3	BHARATPUR ZONE
4	JODHPUR ZONE
5	JAIPUR ZONE
6	KOTA ZONE
7	SIKAR ZONE
8	UDAIPUR ZONE
जयपुर स्थित कार्यालय	
9	VIDHYADHAR NAGAR
10	VAISHALI NAGAR
11	CBS JAIPUR
12	BAGRANA TYRE PLANT

Signature & Seal of Bidder
Name & Address:

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,
C-Scheme, Jaipur-302001, Rajasthan
PH-0141-2374654, email: rsrtc.rajasthan.gov.in

वित्तीय बोली/प्राईस बिड प्रपत्र – D

कार्य आधारित पर सेवाओं के उपापन के लिये मैन विद मशीन की वित्तीय बोली/प्राईस बिड निर्धारित प्रपत्र– D में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी:–

क्र.सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/का उपकरण किराया (प्रतिमाह)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज (प्रतिमाह)	कुल राशि (प्रतिमाह)
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह)	श्रमिकों की संख्या	राशि					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	जॉब बेसिस पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक/प्रशिक्षित कार्मिक	उच्च कुशल	7774/–	10 (± 20%)	77,740/– (प्रतिमाह)	12 % (नियोक्ता)	4.75% (नियोक्ता)	–	–	–

1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक पूर्तियां इस कार्यालय के द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तंभ संख्या 8, 9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियों अंकित की जायेगी।
2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
3. श्रम विभाग/वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त परिपत्र में अंकन न्यूनतम दर से कम का प्रस्ताव को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अस्वीकृत करने के लिए अधिकृत है।
4. वित्तीय बोली/प्राइस बिड निर्धारित प्रपत्र "D" में दूसरे मोहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
पूर्ण पता –

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE,

C-Scheme, Jaipur-302001, Rajasthan

PH-0141-2374654, email: rsrtc.rajasthan.gov.in

वित्तीय बोली/प्राईस बिड प्रपत्र – E

कार्य आधारित पर सेवाओं के उपापन के लिये प्रशिक्षित कार्मिक की वित्तीय बोली/प्राईस बिड निर्धारित प्रपत्र– E में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगीः–

क्र.सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज (प्रतिमाह)
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह)	श्रमिकों की संख्या	राशि			
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	जॉब बेसिस पर प्रशिक्षित कार्मिक	उच्च कुशल	7774/–	10 (± 20%)	77,740/– (प्रतिमाह)	12 % (नियोक्ता)	4.75% (नियोक्ता)	–

1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक पूर्तियां इस कार्यालय के द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तंभ संख्या 8 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियों अंकित की जायेगी।
2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
3. श्रम विभाग/वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त परिपत्र में अंकन न्यूनतम दर से कम का प्रस्ताव को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अस्वीकृत करने के लिए अधिकृत है।
4. वित्तीय बोली/प्राइस बिड निर्धारित प्रपत्र "E" में दूसरे मोहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
पूर्ण पता –